

31.08.  
2021

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण अनुपस्थित। बार बार आवाज लगाने के बाद भी ना तो अप्रार्थीगण हाजिर और ना ही अप्रार्थीगण के अधिवक्ता हाजिर अतः इनके विरुद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। बहस प्रार्थना पत्र मूल पर पुनः श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 13.06.2018 के अनुसार पत्थरगढी करवाए जाने का आदेश जारी किया जाना प्रार्थनीय है। बहस श्रवण करने एवं पत्रावली पर मौजूद दरतावेजात यथा जमावंदी एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 13.06.2018 का अवलोकन करने पर पाते है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी का स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 110, 128 स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम नेवरी पटवार हल्का नेवरी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 553 रकबा 0.30 हैक्टर की सीमाओं पर फर्द सीमाज्ञान दिनांक 13.06.2018 के अनुसार सीमाचिह्न अर्थात् पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार नियमानुसार शुल्क जमा कर तथा नाप जोख कर पत्थरगढी की कार्यवाही करें।

31.8.21  
(राम सिंह राजावत)  
उपखण्ड अधिकारी  
उदयपुर उदयपुरवादी (मुन्नी)

निर्णय आज दिनांक 31.08.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31.8.21  
(राम सिंह राजावत)  
उपखण्ड अधिकारी  
उदयपुर उदयपुरवादी (मुन्नी)